सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 133/प्रा0पत्र/2021 दायरा दिनांक :– 13.08.2021

1. राधेश्याम आ0 गजानन्द जाति ब्राहम्ण निवासी पंगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. मिश्रीलाल आ0 औंकार जाति कीर निवासी मालियों का झौपडा पगांरा तह0 हिण्डोली।
2. मोहनलाल आ0 औंकार जाति कीर निवासी मालियों का झौपडा पगांरा तह0 हिण्डोली।
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत

वकील प्रार्थीगण :– श्री महेश नामा

वकील अप्रार्थी :– चन्द्रप्रकाश जैन

दिनांक :– 24/03/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के सामलाती खाते की भूमि खाता संख्या 109 खसरा संख्या 2861 रकबा 0.4128 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2862 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2864 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2865 रकबा 0.5747 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2866 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2867 रकबा 0.0805 हैक्टेयर, कुल किता 6 कुल रकबा 1.3436 हैक्टेयर वाके ग्राम मालियों की झौपडिया पटवार मण्डल पंगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है। प्रार्थी की उक्त भूमि में आने जाने हेतु एक रास्ता खसरां संख्या 2826 पर बना हुआ है, उक्त रास्ता की भूमि सिवायचक है, जिसमें से होकर उक्त रास्ता प्रार्थी की खाते की भूमि जो चरण संख्या 1 में अंकित है, पर आता है। उक्त रास्ता मौके पर मौजूद है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं है, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त रास्ते पर अतिक्रमण कर रास्ता बन्द करने के फिराक में है, वर्तमान समय में राजकीय भूमियों में बढते अतिक्रमण की स्थिति के मध्यनजर प्रार्थी के मोजूदा रास्ते की भूमि में भी अतिक्रमण की सम्भावना प्रबल है। भविष्य में किसी भी व्यक्ति से रास्ता सम्बन्धित विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थी के आने जाने के मोजूदा रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता घोषित किया जाकर दर्ज किया जाना आवश्यक है व न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमिया पूर्व में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से ही खरीद की है। प्रार्थी रास्ते हेतु उपयोग होने वाली भूमि की किमत वहन करने हेतु तैयार है। उक्त मौजूदा रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जानेक हेतु पूर्व में तहसीलदार साहब से निवेदन किया था। परन्तु उनके द्वारा उपखण्ड न्यायालय में कार्यवाही किये जाने की कहने पर प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। प्रार्थी की खाते की भूमि मालियों की झोपडिया तहसील हिण्डोली में विस्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि भूमि खाता संख्या 109 खसरा संख्या 2861 रकबा 0.4128 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2862 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2864 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2865 रकबा 0.5747 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2866 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2867 रकबा 0'.0805 हैक्टेयर, कुल किता 6 कुल रकबा 1.3436 हैक्टेयर वाके ग्राम मालियों की झौपडिया पटवार मण्डल पंगारा तहसील हिण्डोली में आने जाने हेतु राजस्व ग्राम मालियों की झौपडा की भूमि खसरा संख्या 2868 में होकर 12 फिट चोडा रास्ता घोषित करने एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से खसरा संख्या 2868 में रास्ता घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं अपने जबाव में अंकित किया है। अप्रार्थी संख्या 2 को पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी पेश नहीं करने पर एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। तहसीलदार हिण्डोली की ओर से पत्रांक :—राजस्व/24/4038 दिनांक :—26.11.2024 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2861, 2862, 2864, 2865, 2866, 2867 कुल किता 06 कुल रकबा 1.3436 हैक्टेयर वाके ग्राम माली की झौपडिया पटवार मण्डल पंगारा में आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 2868 में से 12 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत तहसीलदार हिण्डोली द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थी इस बाबत राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 2868 में से रास्ता चाहा है जो कि गैर मुमकिन नाला दर्ज होने से दिया जाना संभव नहीं है उसके स्थान पर प्रार्थी को अपनी खातेदारी में आने जाने हेतु खसरा संख्या 2905 सिवायचक में से 13 फीट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है उक्त रास्ता मौके पर बना हुआ है वर्तमान में रास्ता चालू है उक्त खसरा संख्या राजकीय सिवायचक भूमि में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 109 के खसरा संख्या 2861, 2862, 2864, 2865, 2866, 2867 कुल किता 06 कुल रकबा 1.3436 हैक्टेयर वाके ग्राम माली की झौपडिया पटवार मण्डल पंगारा में आने–जाने हेतु तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मालियों की झौपडिया के खसरा नम्बर 2905 जो कि राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज है जिसमें से 647 फीट लम्बा व 13 फीट चौडे रास्ते में कुल (0.07931 हैक्टेयर) भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली की मुताबिक गणना टी0आर0ए0 के डीएलसी राशि 714096/रू– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि खसरा संख्या 2905 में से रकबा 0.07931 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 56635/रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 113270/रू– का भुगतान सम्बन्धित सम्बन्धित राजकीय मद में जमा करवाने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :— 24.03.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

24/03/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446